

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. – 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 109 /2025

दिनांक- 23.03.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 23.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- जीयनपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 23.03.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 116/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नदीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को वहद ग्राम बासूपार घडसरा रोड से नियमानुसार समय 13.30 बजे अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 116/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 271/2020 धारा 147, 149, 323, 325, 352, 504, 506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) SC/ST Act.

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना रौनापार: हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त एक चाकू के साथ गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.03.2025 को उ0नि0 श्री उमाशंकर मय हमराह मु0अ0सं0 103/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 की विवेचना में मामूर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर भैसाड़ पुल के पास से दिनांक समय करीब 12.20 बजे दो नफर अभियुक्त 1. सुरेश यादव पुत्र संता यादव उम्र 38 वर्ष 2. धर्मेन्द्र यादव पुत्र संता यादव उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद चाकू आला जुर्म के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 103/25 धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



03.थाना बरदह: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 10000/- रु0 का इनामिया अभि0 गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 21/7/2024 को पीड़िता को यशवन्त अपने साथ लेकर जौनपुर डेनार्ईट होटल मे गया था तथा मुझे शादी करने का झांसा देकर कई बार मेरे साथ शारीरिक सम्बंध बनाया। अब शादी करने के लिए कहने पर शादी करने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 10/9/2024 को मेरे साथ मारपीट किया तथा जान से मारने की धमकी दिया । तथा बाहर भाग गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/24 धारा 69/115(2)/351(2) बीएनएस बनाम यशवंत पुत्र छोटेलाला ग्राम केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। अभियुक्त यशवंत उपरोक्त काफी सयम से फरार चल रहा था। दिनांक 19.03.25 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त यशवन्त उपरोक्त पर 10000/- रुपया का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 23.03.25 को उ0नि0 कुलदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त यशवंत पुत्र छोटेलाला ग्राम केदलीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को त्रिवेणी मोड़ से मसय 14.30 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



04.थाना बिलरियागंज- गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.03.25 को सोनू यादव पुत्र गोरेलाल यादव निवासी अण्डाखोर टिकरिया थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि समय करीब सुबह 10 बजे के आस पास घरेलू जमीन विवाद को लेकर हमारे पटिदार अभिराम यादव पुत्र स्व0 पिल्लू यादव व सरस्वती देवी पत्नी अभिराम यादव ने बात विवाद करते हुऐ हमारे पिता गोरेलाल यादव को हाथावायी करते हुऐ गिरा दिये जिससे उनके सिर मे चोट लगी । दवा इलाज ले जाते हुऐ रास्ते मे ही हमारे पिता कि मृत्यू हो गयी । आवेदक के प्रा0पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक- 23.03.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.अभिराम यादव पुत्र पिल्लू यादव 2.सरस्वती देवी पत्नी अभिराम यादव अपने घर को समय करीब 12.45 बजे दोपहर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 86/25 धारा 105 बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़



05.थाना-तहबरपुर: किशोरी को शादी का झांसा देकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 22.03.25 आवेदिका थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र बाबत बावत दिनांक 20.03.2025 को समय करीब 19.00 बजे वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष के घर से चले जाने व वापस नहीं आने के सम्बन्ध में दिया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लोकेश मणि त्रिपाठी के द्वारा की जा रही है। अपहृता/पीडिता के बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 23.03.25 को उ0नि0 लोकेशमणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीडिता की बरामदगी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर खास की सूचना पर किशुनदासपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डर पास से प्रवीन कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम देवखरी खिजिरपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब -21वर्ष को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 11.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



06.थाना निजामाबाद: 07 नफर वारण्टी गिरफ्तार

आज दिनांक 23.03.25 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित टीम द्वारा सात नफर वारण्टी गिरफ्तार किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है 1.अमरजीत पुत्र शिवचन्द्र निवासी हुसामपुर बडागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 2462/19 धारा 323,427,452,504 भादवि 2. रामचन्द्र पुत्र शिवचन्द्र निवासीग हुसामपुर बडागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 2462/19 धारा 323,427,452,504 भादवि 3. प्रकाश पुत्र हरिहर निवासी मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 2694/19 धारा 323,452,506 भादवि 4. अरुण पुत्र हरिहर निवासी ग्राम मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 2694/19 धारा 323,452,506 भादवि 5. गुलाब पुत्र हरिहर निवासी ग्राम मिट्टनपुर हादी अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 2694/19 धारा 323,452,506 भादवि 6. मनोज गिरि पुत्र सभाजीत गिरि निवासी विदावनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष मु0न0 7536/19 धारा 323,504,506,352,452 भादवि 7. सभाजीत गिरि पुत्र रामराज निवासी विदावनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष सम्बन्धित मु0न0 7536/19 धारा 323,504,506,352,452 भादवि को गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।



07. थाना कंधरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.03.2025 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह चेकिंग के दौरान चेवता मोड के पास से एक व्यक्ति मो0आरिफ पुत्र मो0 नौशाद निवासी मुकेरीगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 23.01 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



08. थाना-तहबरपुर: किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 06.03.25 को आवेदक थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2025 को सुबह लगभग 06 बजे वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को उसके घर से अंकित यादव पुत्र राजाराम यादव ग्राम कुआँ देवचन्द पट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 47/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अंकित यादव पुत्र राजाराम यादव ग्राम कुआँ देवचन्द पट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 मानचन्द्र यादव के सुपुर्द हुई। अपहृता बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक- 22.03.2025 को उ0नि0 मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता व अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजाराम उर्फ राजू यादव निवासी ग्राम कुंवादेवचन्द पट्टी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को तहबरपुर तिराहा से समय करीब 19.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 47/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ व बढ़ोत्तरी धारा 64 भा0न्या0सं0 व 3/4पास्को एक्ट तहबरपुर जनपद आजमगढ़

